न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 103/2022 बउनवानी संतोष कुमार बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर.स0मा0 मु.पो. वजीरपुर तहसील वजीरपुर

GCMS No-2022/174

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
19.10.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित।

अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 8.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के द्वारा पत्र कमांक प.11/शिका/राम/भरतपुर सम्भाग/2020 /1262 दिनांक 24.5.2022 इस पत्र मे आपके द्वारा क्या जॉच की गयी है उसकी सम्पूर्ण पत्रावली देने की कृपा करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक एफ.1(80)/सूकाअ/2022/1077 दिनांक 23.9.2022 से अवगत कराया कि राजस्व मण्डल के पत्रांक 1262 दिनांक 24.5.2022 पर की गयी कार्यवाही की प्रति (अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को लिखे गये पत्रांक 2790 दिनांक 15.6.2022 की प्रति) प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग के पत्रांक 4551 दिनांक 2.8.2022 को प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक एफ.1(80)/सूकाअ/2022/856 दिनांक 10.8.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 8.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना (राजस्व मण्डल के पत्रांक 1262 दिनांक 24.5.2022 पर की गयी कार्यवाही की प्रति) लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 856 दिनांक 10.8.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है, शेष सूचना जॉच पूर्ण होने पर ही अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:38:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर